ज्ञापन

पत्रा. आप प्रेषकजी सामी कलेक्टर उपखण्ड सामोर
का वादपत्र प्रार्थनापत्र 07 R 11 व 151 प.प.सं. के तहत
स्वीकार होने के कारण खारिज होकर मूल की
अवधि प्रार्थनापत्र का कोई महत्व नहीं रह गया है

अतः प्रार्थनापत्र 212 RTA की स्वतः खारिज
किया जाता है पत्रा. फैसला श्रमाल कोर्ट नखतेकाम
होकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर
जिला सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:14:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner